

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2013

सा.का.नि.606(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) विनियमावली, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम 24.12.2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतनमान) विनियमावली, 2007:-

(क) "अनुसूची-II-भाग क" - तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों में, 'मणिपुर-त्रिपुरा' शीर्षक में उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः :-

## "मणिपुर

पुलिस महानिदेशक, मणिपुर	80,000/- रूपए (नियत)
अपर पुलिस महानिदेशक-सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक-आसूचना	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक-होमगार्ड	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
अपर पुलिस महानिदेशक-कानून एवं व्यवस्था	एच.ए.जी. 67,000/- 79,000/-
पुलिस महानिरीक्षक-जोन-I	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-जोन-II	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-जोन-III	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना, नार्कोटिक्स एवं सीमा मामले	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, मानवाधिकार एवं आरटीआई	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, प्रचालन एवं प्रावधान	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
उप निदेशक-एमपीटीएस	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-

पुलिस महानिरीक्षक-एलओ-III	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस महानिरीक्षक-कारागार	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 10000/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस-I	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस-II	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-मुख्यालय/प्रशासन	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-रेंज -I	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-रेंज -II	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-रेंज -III	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-रेंज -IV	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
पुलिस उप-महानिरीक्षक-आसूचना, नार्कोटिक्स एवं सीमा मामले	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
उप निदेशक-(एमपीटीएस)	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-
उप पुलिस महानिरीक्षक-सीआईडी/आपराधिक शाखा	पीबी-4+ ग्रेड पे रु. 8900/-

(ख) "अनुसूची-II-भाग ख" - में (वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'मणिपुर-त्रिपुरा' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

#### मणिपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक - जिले
पुलिस अधीक्षक - सीआईडी (विशेष शाखा)
पुलिस अधीक्षक- सीआईडी (अपराध शाखा)
पुलिस अधीक्षक - नार्कोटिक्स एवं सीमा मामले
पुलिस अधीक्षक - वीआईपी सुरक्षा
पुलिस अधीक्षक - विशेष अन्वेषण दल
पुलिस अधीक्षक - सतर्कता
कमांडेंट (एपी बीएनएस.)

[सं.11052/01/2013-अ.भा.से.-II(ख)]

मनोज कुमार द्रविदेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21.02.2008 की सा.का.नि. सं. 108(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 692(अ) दिनांक 27.09.2008, 589 (अ) दिनांक 20.09.2009, सा.का.नि. सं. 172(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि. सं. 242(अ) दिनांक 30.03.2010 द्वारा संशोधित किए जा रहे ।